संख्या- 4236/15-7-05-16(17)/92

प्रेषक,

पी०के० उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर, 2005

विषयः- प्रदेश स्थित सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु/संबद्धता प्राप्त विद्यालयों से लिये जाने वाले शुल्क का पुनरीक्षण/परिवर्द्धन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नईदिल्ली तथा सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उक्त परीक्षा परिषदों से संबद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए वर्तमान में रूपये 1000/- आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराये जाने की व्यवस्था प्रभावी है। सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित तालिका के अनुसार शुल्क पुनरीक्षित/परिवर्द्धित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	विषय	अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वर्तमान आवेदन शुल्क (रूपये में)	पुनरीक्षित आवेदनशुल्क (रूपये में)	वार्षिक शुल्क (रूपये में)
1-	सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु/संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से लिया जाने वाला शुल्क	1000/-	2,5000/-	20,000/-

2- वार्षिक शुल्क के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी समस्त शिक्षण संस्थओं से यह शुल्क लिया जायेगा जिन्हें उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन शुल्क/वार्षिक शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राप्तियों के लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा की जायेगी । वार्षिक शुल्क की धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक प्रत्येक दशा में जमा कर दी जायेगी । उक्त निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न किये जाने की दशा में संबंधित विद्यालयों को प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

सम्भागीय उप शिक्षा ...
के बारे में सूचित करेंगे।

3- संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रति तीन माह में ऐसे समस्त विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे तथा वस्तुस्थिति से विभाग/शासन को अवगत करायेगें।

4- कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(पी0के0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
3- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4- समस्त कोषागार,उत्तर प्रदेश।
5- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अजीत प्रकाश)
अनु सचिव।